प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौदह'

[6/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 3053]

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक : 3053 तारांकित श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य विधानसभा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवार श्रेणियों की सूची

क्र.	श्रेणियां
1.	अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार
2.	बीपीएल परिवार
3.	ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
4.	समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
5.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
6.	मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।
7.	मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।
8.	पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
9.	फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
10.	समस्त भूमिहीन कोटवार।
11.	मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
12.	केशशिल्पी।
13.	घरेलू कामकाजी महिलाएँ।
14.	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।
15.	साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
16.	प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।
17.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
18.	वनाधिकार पट्टेधारी।
19.	रेलवे में पंजीकृत कुली।
20.	अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
21.	बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।
22.	एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
23.	प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।
24.	प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2014-15 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
25.	विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग में सम्मिलित जातियां (प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग